सवालों से घिरी

खण्डवा की नर्मदा पेयजल योजना

यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० के कारण पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन

प्रदेश और संभवत: देश के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पाईपलाईन से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था है। ये पाईपलाईनें करीब 40-50 वर्ष से लेकर कही–कहीं 70-80 वर्ष तक पुरानी है। हाँलांकि बढ़ती जरूरत के हिसाब से समय–समय पर इस व्यवस्था का विस्तार एवं इसमें सुधार होता रहता है लेकिन अधिकांश इलाकों में पुरानी पाईप लाईनें ही होने की जानकारी मिलती है।

इन पुरानी पाईप लाईनों की मरम्मत की भी सीमाएँ हैं जिसके कारण इनसे जल रिसाव बड़े पैमाने पर होता है। कई स्थानों पर यह जल–मल निकास (drainage) लाईनों के साथ–साथ होने के कारण इससे पेयजल प्रदूषित होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ खड़ी होती है। इसके साथ ही जलप्रदाय संबंधी पुरानी मशीनरी की क्षमता (efficiency) कम है। इन सब कारणों से अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पूरे पेयजल तंत्र के पुनर्वास की जरूरत महसूस की जा रही है।

खण्डवा और उसके जलस्रोत

खण्डवा नगर दक्षिण–पश्चिम मध्यप्रदेश में स्थित एक जिला मुख्यालय है। आजादी के पूर्व से ही खण्डवा मध्य भारत का एक महत्त्वपूर्ण नगर रहा है। अंग्रेज 1860 में निमाड़ जिला मुख्यालय को मण्डलेश्वर से स्थानांतरित कर यहाँ ले आए थे। 17 मई 1867 को इसका गठन नगरपालिका के रूप में किया गया जिसका दर्जा बढ़ा कर 1 नवंबर 1991 को नगरनिगम बना दिया गया गया है।

खण्डवा नगर जल स्वावलंबी रहा है। जिले के गजेटियर में इसके प्रमुख जलस्रोतों के रूप में मोघट (नागचून) तालाब, बरूड़ नाला, रामेश्वर कुआँ, भैरों टेंक का उल्लेख है। बुजुर्ग भीम कुण्ड, सूरज कुण्ड, रामेश्वर कुण्ड और पदम कुण्ड को प्रमुख जलस्रोतों के रूप में बताते हैं। इसके अलावा नगर में सैकड़ों कुएँ मौजूद थे। तत्कालीन निमाड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर ने 1930 के दशक में सरकार को भेजी अपनी रपट में कुशल प्रबंधन के कारण खण्डवा नगरपालिका की प्रशंसा की थी।

नगरनिगम के आँकड़ों के अनुसार शहर की वर्ष 2010 की प्रस्तावित जनसंख्या 2,15,373 के लिए 135 एलपीसीडी के अनुसार 29 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी की जरूरत बताई जा रही है। जबकि नगरनिगम वर्तमान में 17.20 एमएलडी[1] ही जलप्रदाय कर पा रहा है इस प्रकार 11.80 एमएलडी की कमी है। इस समस्या के हल हेतु नगरनिगम ने शहर से 52 किमी दूर छोटी तवा नदी के किनारे स्थित इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय से पानी लाने की योजना बनाई है।

1. नर्मदा जल आवर्धन योजना की विस्तृत परियोजना रपट, पृष्ठ क्रमांक –17

खण्डवा का मुख्य जलस्रोत भगवंत सागर जलाशय (सुक्ता बाँध) है। 78 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) जल भण्डारण क्षमता वाले इस जलाशय में 4.24 एमसीएम या 150 एमसीएफटी (मिलियन क्यूबिक फीट) पानी खण्डवा के घरेलू प्रदाय हेतु आरक्षित रखा गया है। इस पानी को सुक्ता नदी के प्राकृतिक रास्ते से गुरूत्व बल के द्वारा 40 किमी दूर स्थित जसवाड़ी बैराज में लाया जाता है, जहाँ पर 13.6 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट बना है। जसवाड़ी बैराज शहर से 11 किमी दूर स्थित है।

1897 में ४ लाख की लागत से निर्मित नागचून तालाब शहर से 5 किमी दूर है। इसका पानी 2.7 एमएलडी क्षमता वाले लाल चौकी फिल्टर प्लांट से होकर प्रदाय किया जाता है।

लेकिन आवश्यक जल का बड़ा हिस्सा भूजल से प्राप्त होता है। निगम के 198 मशीनीकृत बोरवेल से मिलने वाला 5.4 एमएलडी पानी भी लाईनों से जोड़ कर प्रदाय किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके केचमेंट स्थित भूमि में कृषि तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप नहीं है जिसके कारण इससे मिलने वाले पानी गुणवत्ता बेहतर है।

खण्डवा को मिलने वाले वाले पानी की मात्रा

क्र॰	मौसम	सुक्ता (एमएलडी)	नागचून (एमएलडी)	बोरवेल (एमएलडी)	योग (एमएलडी)	जलप्रदाय (लीटर/व्यक्ति/दिन)
1.	**वर्षा**	11.25 (57.69%)	1.80 (9.23%)	6.30 (32.31%)	19.50	97.50
2.	**शीत**	11.25 (57.69%)	1.80 (9.23%)	6.30 (32.31%)	19.50	97.50
3.	**ग्रीष्म**	9.00 (71.43%)	0.00	3.60 (28.57%)	12.60	63.00
औसत जलप्रदाय		**10.5 (61.05%)**	**1.20 (6.98%)**	**5.4 (31.40%)**	**17.20**	**86.00**

स्रोत – परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना, पृष्ठ -17 की जानकारी पर आधारित

उपरोक्त जलस्रोतों में से सुक्ता से जलप्रदाय वर्ष भर लगभग समान बना रहता है लेकिन, गर्मी के मौसम में भूजल और नागचून से जलप्रदाय में कमी आती है। निगम द्वारा गर्मी में 63 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय किया जाता है जबकि साल के अन्य महीनों में 97.5 लीटर के हिसाब से जलप्रदाय किया जाता है। इस जलप्रदाय को नगर की आवश्यकता से कम मानते हुए नई जल आवर्धन योजना बनाई गई है।

जल आवर्धन का प्रयास

सामान्यत: गर्मी के दिनों में टेंकरों के माध्यम से जल आवर्धन कर आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। लेकिन स्थाई समाधान का प्रयास भी जारी रहता है।

- ✓ खण्डवा में नागचून के बाद पहला जल आवर्धन का प्रयास भगवंत सागर जलाशय से पानी लाकर 1982 में किया गया। आज भी शहर की 60% से अधिक आवश्यकता पूर्ति इसी से हो रही है। वर्ष 2004-05 में पुन: इससे मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके तहत भगवंत सागर जलाशय से जसवाड़ी फिल्टर प्लांट तक पाईप लाईन डालने तथा जसवाड़ी फिल्टर प्लांट से शहर तक 28 इंच की एक अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने की योजना थी। योजना खर्च हेतु हुडको से 13 करोड़ के कर्ज की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन राज्य शासन द्वारा हुडको को काउंटर

गारण्टी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कर्ज नहीं मिल पाया और योजना ठण्डे बस्ते में चली गई।[2]

- ✓ इसके बाद नवंबर 2006 में 'अतिविश्वसनीय' स्रोत से प्रचुर मात्रा में पानी प्राप्त करने हेतु कालमुखी ग्राम के निकट इंदिरा सागर की नहर से उद्‌वहन द्वारा नागचून तालाब में पानी जमा करने की योजना बनाई गई। नागचून तालाब को बेलेंसिग रिजरवायर की तरह इस्तेमाल करते हुए वहीं से जलप्रदाय करने वाली इस योजना की अनुमानित लागत 34.35 करोड़ थी। इसमें वर्ष 2022 की खण्डवा की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त जलप्रदाय का दावा किया गया था।[3]

- ✓ वैसे तो नहरें तो गर्मी के दिनों में ही चलाई जाती है ताकि बारिश के अतिरिक्त फसलें ली जा सकें। लेकिन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने जब यह बताया कि गर्मी में नहर में पानी प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो अन्य स्थान से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। 17 अप्रैल 2007 को तत्कालीन निगम कमिश्नर श्री शिवनाथ झारिया और सलाहकार मेहता एण्ड एसोसिएट्स ने चारखेड़ा तथा सेल्दामाल के मध्य छोटी तवा के किनारे स्थित इंदिरा सागर जलाशय क्षेत्र को उपयुक्त पाया। इस स्थान पर 239 मीटर के लेवल से पानी लिया जा सकता था। इस योजना की लागत 83.74 करोड़ आकलित की गई थी।[4] जलस्रोत की शहर से दूरी 40 किमी थी।

- ✓ ऊपर की योजना को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया कि ग्राम रजूर से बाई ओर जलस्रोत तक पहुँच मार्ग आरक्षित वन (लगभग 5 हेक्टर) है। साथ ही अग्नि नदी से होकर जलस्रोत छोटी तवा तक जाने हेतु पुल भी बनाना होगा। इस कारण पाईप लाईन का रूट परिवर्तन किया गया तथा चारखेड़ा से खण्डवा–छनेरा राजमार्ग होकर 52 किमी लम्बा रूट तय किया गया। इस मार्ग में भी 3.1 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस परियोजना की लागत 96.31 करोड़ रूपए आंकलित की गई थी।[5]

इस योजना को ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना'' (Urban Infrastructure Develop Scheme for Small and Medium Towns) के तहत स्वीकृत करवाया गया। जिसे 17 सितंबर 2007 को मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा 106.72 करोड़ की स्वीकृति दी गई।[6] इसमें से 10361.45 करोड़ (97%) परियोजना की लागत तथा शेष 3.10 करोड़ (3%) परियोजना की तैयारी, कंसलटेंसी आदि आकस्मिक कार्यों के लिए खर्च की जानी है। परियोजना लागत 103.61 करोड़ में से नगरनिगम का हिस्सा छोड़ कर रूपए 93.25 करोड़ कंसेशनरी (ठेकेदार) को निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में दिए जाएँगें।

---

2. श्री ताराचंद अग्रवाल, पूर्व महापौर, खण्डवा से बातचीत के आधार पर
3. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ – 1, 2
4. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ – 15
5. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ – 26, 27
6. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ – 76

यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰ और उसके प्रभाव

नगरीय पेयजल तंत्र के पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश की जरूरत है जो अधिकांश नगरनिकायों के बूते से बाहर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शासन (केन्द्र या राज्य) द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन की व्यवस्था की जा रही है। शहरी बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के नाम से एक बड़ी केन्द्रीय योजना जारी है। इसके तहत मिलने वाली अनुदान राशि में केन्द्र और राज्य का हिस्सा क्रमशः 80 तथा 10% है। शेष 10% राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है। इसी योजना के तहत ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना'' (Urban Infrastructure Develop Scheme for Small and Medium Towns) जारी है। इसमें भी केन्द्र और राज्य से मिलने वाले अनुदान का अनुपात समान है। खण्डवा में पेयजल आवर्धन तथा तंत्र पुनर्वास UIDSSMT के तहत स्वीकृत किया गया है।

केन्द्र समर्थित यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰ की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2009 तक पिछले 4 वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19860.80 करोड़ रूपए की लागत वाली 968 योजनाएँ स्वीकृत की गई है। इनमें से 10473 करोड़ रूपए की 521 परियोजनाएँ पानी से संबंधित है। मध्यप्रदेश में 678 करोड़ की लागत वाली 34 परियोजनाओं में 32 परियोजनाएँ पानी से संबंधित है।

यह योजना जल क्षेत्र सुधार का एक प्रमुख हिस्सा है। इस योजना का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को आकर्षित करने योग्य बनाना है। योजना की शर्त के मुताबिक यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰ योजना स्वीकार करने वाली राज्य सरकारों और नगरनिकायों को ''सुधार'' का एजेण्डा स्वीकार करना होता है। सुधार का सामान्य अर्थ है सेवाओं का निजीकरण। योजना की शर्तों में उल्लेखित सुधार दो श्रेणियों के हैं (1) आवश्यक और (2) ऐच्छिक। स्थानीय निकायों द्वारा ऐच्छिक सुधारों को अपनी सुविधानुसार थोड़ा आगे–पीछे लागू किया जा सकता है। लेकिन, परियोजना शुरू होने के बाद 7 वर्षों की अवधि में ही ये सारी शर्तें पूरी करनी होगी।

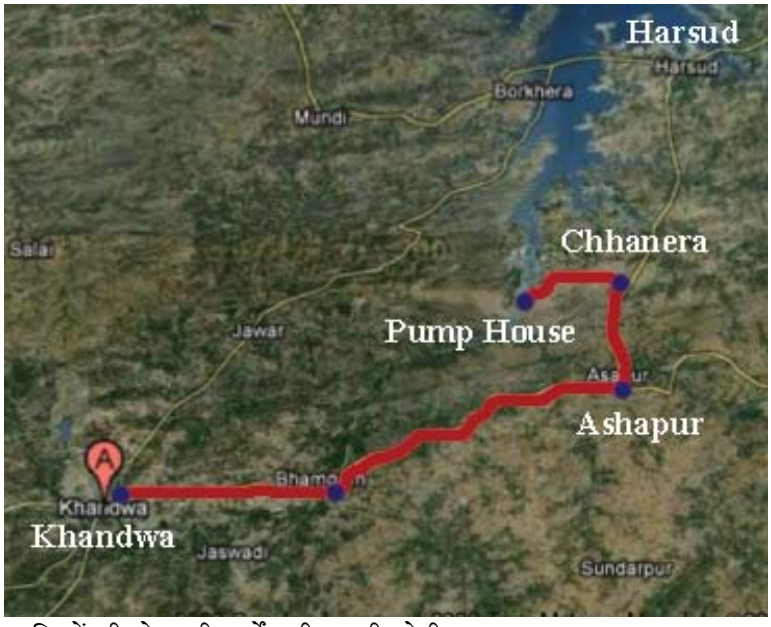

स्थानीय निकायों की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें निजीकरण का आसान बहाना मिल गया है। यही कारण है कि अधिकांश नगरीय निकाय भारी भरकम सरकारी अनुदान प्राप्त करने तथा अपने हिस्से के पूँजी निवेश से बचने के लिए पीपीपी का आसान विकल्प चुन रहे हैं। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 580 शहरों में से 245 शहरों ने पीपीपी हेतु सहमति प्रदान कर दी है। मध्यप्रदेश के 17

नगरनिकायों ने भी जन–निजी भागीदारी का विकल्प चुना है। इस प्रकार सार्वजनिक धन से निर्मित परियोजनाओं का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों को चाँदी काटने के लिए सौंपा जा रहा है।

चूँकि इन योजनाओं के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध है इसलिए स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएँ बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे लागतें अनाप–शनाप बढ़ रही है। चूँकि इन योजनाओं में निजीकरण का विकल्प रखा गया है अत: इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा।

निजीकरण के प्रभाव

जलप्रदाय परियोजना के निजी हाथों में चले जाने के बहुआयामी एवं दूरगामी परिणाम होंगें। जलप्रदाय व्यवस्था का संचालन कल्याणकारी कर्तव्य के बजाय बाजारी जिन्स की तरह होगा। ऐसा करते समय समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति जवाबदेही को सिरे नकार दिया गया है। सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाएगा। नगर में ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं होने दी जाएगी जिससे लोग कंपनी के अलावा अन्य स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकें।[7] कंपनी के अनुबंध से पूर्व से जारी हेण्डपम्पों को भी पुन: चालू करने से रोकने का भी कंपनी को अधिकार होगा।

वित्तीय आंकलन

इस परियोजना को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत ''विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रा॰ लिमिटेड'' (आगे से इसे संक्षेप में विश्वा कंपनी कहा गया है) नामक कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी ने परियोजना की लागत 115.32 करोड़ रूपए बताई है। निगम की ओर से कंपनी को 93.25 करोड़ रूपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष 22.06 करोड़ रूपए कंपनी को खुद की ओर से जुटाने होंगें। कंपनी के हिस्से की राशि में 551.67 करोड़ (25%) निवेश तथा 16.55 करोड़ (75%) कर्ज होगा। कंपनी ने सालाना संचालन, संधारण खर्च 7.62 करोड़ बताया है। अनुबंध के अनुसार कंपनी 2 वर्ष में परियोजना का निर्माण पूरा कर अगले 23 वर्षों तक इसका संचालन करेगी।

अत: संभव है कि अक्टूबर 2011 तक कंपनी जलप्रदाय शुरू कर दें। निगम द्वारा 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से वर्ष 2011 की आंकलित जनसंख्या 2,18,774 के लिए 29.53 एमएलडी पानी की जरूरत होगी। चूँकि कंपनी ने 15% वितरण हानि मानी है अत: कंपनी को 4.42 एमएलडी अतिरिक्त यानी कुल मिलाकर 33.96 एमएलडी जलप्रदाय करना होगा।

कंपनी द्वारा निर्धारित दर 11.95 रुपए/किलोलीटर के हिसाब से 33.96 एमएलडी पानी का सालाना बिल 14 करोड़ 81 लाख 25 हजार रूपए होगा।[8] खण्डवा नगरनिगम का जल राजस्व वसूली का इतिहास इसके लागत वसूली में फिसड्डी होने के सबूत पेश करता है। नगरनिगम वर्ष 2007-08 में पानी पेटे मात्र 94 लाख 25 हजार रुपए ही वसूल पाया है जबकि इसी वित्तीय वर्ष में निगम ने जलप्रदाय व्यवस्था पर कुल 3 करोड़ 18 लाख रूपए खर्च किए थे। यानी कुल खर्च के एक तिहाई से भी कम की वसूली।

---

7. अनुबंध की No Parallel Competing Facility संबंधी धारा
8. विश्वा कंपनी का प्राईस ऑफर- II, दिनांक 10 फरवरी 2009

नगर निगम की वसूली दर (जलप्रदाय)

वर्ष	जलप्रदाय पर खर्च	जलप्रदाय से आय	वसूली
2005-06	2,62,65,689	65,44,294	24.92%
2006-07	2,75,41,706	1,17,84,974	42.79%
2007-08	3,18,28,403	94,25,115	29.61%

स्रोत – नगर निगम, खण्डवा

ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगरनिगम जलप्रदाय की अपनी अल्प लागत ही नहीं वसूल पा रहा है तथा वर्ष 1997-98 से अब तक जलदरों में वृद्धि का साहस नहीं कर पा रहा है तो वह कंपनी के लिए उन्हीं नागरिकों से सालाना **पौने पन्द्रह करोड़ रुपए** से अधिक कैसे वसूलेगा? क्या यह नगरनिगम के बूते में है? यदि निगम यह राशि वसूल भी पाया तो स्थानीय जनता को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? उल्लेखनीय है कि खण्डवा के 14,089 परिवार यानी कुल आबादी का 40% हिस्सा झुग्गी बस्तियों में निवास करता है।

जलप्रदाय के बदले विश्वा कंपनी द्वारा की जाने वाली वसूली

वर्ष	शहर की जनसंख्या	जलप्रदाय की मात्रा					भाव/किली	विश्वा को किया जाने वाला भुगतान
		लीटर/दिन	किलो लीटर/दिन	एमएलडी	किलो लीटर/वर्ष	15% लीकेज सहित किली/वर्ष		
2011	218744	29530440	29530.4	29.53	10778610	12395402	11.95	148125056
2012	222172	29993220	29993.2	29.99	10947525	12589654	11.95	150446366
2013	225659	30463965	30464.0	30.46	11119347	12787249	13.15	168088392

स्रोत – परियोजना डीपीआर तथा विश्वा कंपनी द्वारा प्रस्तुत लागत प्रस्ताव

नगर निगम ने नल कनेक्शनों पर मीटर लगाने का विचार त्याग दिया है। अब घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनधारियों के लिए फ्लेट रेट क्रमश 150 और 300 रुपए/माह प्रस्तावित किया है। गरीबों से 100 प्रतिमाह वसूला जाएगा। हालांकि औद्योगिक कनेक्शनों हेतु 2400 रुपए/माह की दरें प्रस्तावित की है लेकिन इससे वसूली दर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो खण्डवा में औद्योगिक कनेक्शनों की संख्या उपेक्षणीय है और दूसरे, व्यावसायिक जलापूर्ति नागचून से करने की योजना है। रेल्वे एक बड़ा व्यावसायिक उपभोक्ता हो सकता है लेकिन उसकी अपनी खुद की जलप्रदाय योजना और शुद्धिकरण यंत्रालय है।[9]

यदि इस दर से वर्तमान कनेक्शनों से शतप्रतिशत वसूली की जाये तब भी निगम को सालाना 2 करोड़ 97 लाख 3 हजार 600 रुपयों की ही आय होगी। यदि मान लिया जाए कि खण्डवा नगरनिगम की सीमा में स्थित सारी संपत्तियों (चाहे उनके स्वामी अनुमति दे चाहे न दे) और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नल कनेक्शन दे दिए जाए और उनसे शतप्रतिशत वसूली की जा सके तो भी उनसे 6 करोड़ 79 लाख 62 हजार रुपयों सालाना से अधिक नहीं वूसला जा सकता। हालांकि यह असंभव सा काम है लेकिन यदि कंपनी ने इसे संभव कर दिखाया तो भी उसका पानी का बिल पूरा

9. तापी प्रिस्ट्रेस्ड प्राडक्ट्स लिमिटेड का पत्र दिनांक 14 जून 2008 (L-3, Page -63)

नहीं होगा। कंपनी के वास्तविक बिल और वसूली में भारी अंतर होगा और अनुबंध[10] की शर्तों के तहत अंतर राशि (8 करोड़ से अधिक) सब्सिडी के रूप में कंपनी को चुकानी होगी।

वर्तमान नल कनेक्शन और उनसे वसूली की संभावना

कनेक्शन का प्रकार	कुल संख्या	प्रस्तावित मासिक दरें	वार्षिक वसूली
घरेलू	15664	150	2,81,95,200
व्यावसायिक	259	300	9,32,400
औद्योगिक	20	2400	5,76,000
योग	**15,943**		**2,97,03,600**

लेकिन सवाल उठता है कि कंपनी को चुकाने हेतु निगम के पास पैसा आएगा कहाँ से? भगवंत सागर से 28 पैसे किलो लीटर में मिलने वाले पानी की रायल्टी भी निगम चुका नहीं पा रहा है। वर्ष 2002-03 तक बकाया राशि का शासन स्तर पर समायोजन किया गया। लेकिन इसके बाद भी निगम पानी की रॉयल्टी नहीं चुका पाया। 1 अप्रैल 2008 को जल संसाधन विभाग के निगम पर पानी की रॉयल्टी पेटे 81.52 लाख रूपए फिर से बकाया थे।

जन–निजी भागीदारी पर परियोजना सौंपने का प्रमुख कारण ही यह रहा है कि जलप्रदाय व्यवस्था पर खर्च की जाने वाली राशि को निगम वसूल नहीं पा रहा है और दूसरे मदों का पैसा इसमें खर्च हो जाता है जिससे शहर का विकास प्रभावित होता है। लेकिन परियोजना निजी कंपनी को सौंपने पर भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि निगम को जलप्रदाय के मद में पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। चूँकि निगम के पास इस राशि की वसूली की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए उसे अन्य मदों की और अधिक राशि पानी के लिए खर्च करनी पड़ेगी और शहर का विकास पहल से अधिक प्रभावित होगा। इसकी कीमत पूरा शहर कई रूपों में चुकाएगा।

नगरनिगम की सीमा में स्थित कुल संपत्तियाँ और उनसे वसूली की संभावना

कनेक्शन का प्रकार	कुल संख्या	प्रस्तावित मासिक दरें	वार्षिक वसूली
घरेलू	23,510	150	4,23,18,000
लाईफ लाईन (गरीब लोगों के लिए)	14089	100	1,69,06,800
व्यावसायिक	2,427	300	87,37,200
योग	**26,072**		**6,79,62,800**

टीप–हालांकि नगर में 26 औद्योगिक कनेक्शन होकर उनसे 7 लाख 48 हजार 800 रूपयों की वसूली हो सकती है। लेकिन औद्योगिक जलप्रदाय नागचून से करने की योजना है इसलिए यहाँ उनकी आय शामिल नहीं की गई है।

वर्ष 2007-08 में निगम जलप्रदाय मद में प्रति व्यक्ति 159 रूपए खर्च के विरूद्ध प्रति व्यक्ति 47 रूपए वसूल पाता था और 112 रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से निगम को सब्सिडी देनी पड़ती थी। अब वर्ष 2011-12 में निगम द्वारा कंपनी को प्रति व्यक्ति 550 रूपए की दर से व्यक्ति सब्सिडी देनी होगी क्योंकि तब प्रति व्यक्ति खर्च 688 रूपए हो जाएगा जबकि वसूली 138 रूपए/व्यक्ति के हिसाब से ही हो पाएगी। नगर निगम कंपनी को यह भुगतान कैसे करेगा? वर्तमान दरों के आधार पर

10. विश्वा कंपनी का प्राईस ऑफर- II दिनांक 10 फरवरी 2009

भी वसूली दर सिर्फ 316 रूपए/व्यक्ति तक ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन इसके बावजूद निगम पर असहनीय बोझ बना रहेगा।

जन–निजी भागीदारी सार्वजनिक संसाधनों की लूट का निकृष्ट तरीका

पिछली सदी के अंतिम दशक की शुरूआत से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण द्वारा बड़े बदलाव शुरू किए गए। बिजली के क्षेत्र में ये बदलाव प्रारंभ से ही लागू हो गए थे लेकिन जल क्षेत्र में ये पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभ हुए है।

इन वर्षों में निजीकरण की प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। पहला प्रयास सीधे निजीकरण का था, जिसकी दुनियाभर में कड़ी राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हुई। जिसका हल जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) जैसी योजनाओं के रूप में सामने लाया गया। यह एक प्रकार से निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाने का, उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी के बोझ और जोखिम से परे करने की तिकड़म मात्र है। हमारे द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की इस तिकड़म का खामियाजा निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।

सीधे निजीकरण में निजी कंपनियाँ बुनियादी ढाँच खड़ा करने के लिए कम से कम धन तो निवेश करती है। लेकिन, जन–निजी भागीदारी में वे जनता के धन से ही खुद मुनाफा कमाती है। खण्डवा की नर्मदा परियोजना के लिए लगने वाला 90 प्रतिशत धन इस देश की जनता का है लेकिन मात्र लागत का एक छोटा हिस्सा निवेश करने वाली कंपनी को सारे मुनाफे की मालिक बना दिया गया है। संक्षेप में शहर की जनता के अधिकारों को अगले 23 वर्षों के लिए कंपनी के पास गिरवी रख दिया गया है।

प्रतियोगी सुविधा का विरोध

कंपनी से किए गए अनुबंध की 11 वी धारा के रूप में No Parallel Competing Facility यानी **'समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं'** नाम की एक धारा उल्लेख किया गया है। इस धारा को बड़ी चतुराई से अस्पष्ट रूप से लिखा गया है। अनुबंध दस्तावेज में न तो इस वाक्यांश की परिभाषा दी गई है और न ही इसमें उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या की गई है। इसके विपरीत अन्य धाराओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस धारा के माध्यम से खण्डवा के नागरिकों को पानी के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

इस धारा के तहत कंपनी से अनुबंध के बाद नगरनिगम की सीमा में ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी जिससे कंपनी के काम (पेयजल प्रदाय) के समानांतर प्रतियोगी गतिविधि संचालित हो। यानी न तो नगर की जनता और न ही नगर निगम अगले 25 वर्षों के लिए पानी प्राप्त करने की कोई युक्ति निर्मित/संचालित कर पाएँगें। केवल इतना ही नहीं अनुबंध के पूर्व से संचालित तंत्रों की क्षमता भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

नागरिकों द्वारा अपने घरों में लगे ट्यूबवेलों की न तो क्षमता बढ़ाई जा सकेंगी और न ही नए ट्यूबवेल खोदे जा सकेंगें। जिन हेण्डपम्पों में गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जायेगा वहाँ अतिरिक्त पाईप (आवर्धन) भी नहीं लगाए जा सकेंगें। चूँकि परियोजना के तहत हर परिवार को नल कनेक्शन देने तथा उनसे वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है अत: सार्वजनिक नलों (हेण्डपम्पों सहित) को बंद कर ही दिया जाएगा। संभव है पहले से उपयोग में लाए जा रहे निजी ट्यूबवेलों/कुअरें को भी बंद करवाने की माँग भी कंपनी द्वारा की जाए।

आपातकालीन परिस्थिति

अनुबंध की No Parallel Competing Facility संबंधी धारा के कारण नगरनिगम को सारे सार्वजनिक नल समाप्त करने पड़ेंगें। वर्तमान जलस्रोतों की क्षमता वृद्धि और नए स्रोत निर्माण पर पाबंदी होगी। साथ ही टेंकर से जलप्रदाय भी संभव नहीं होगा। संक्षेप में अनुबंध की इस शर्त का प्रभाव यह होगा कि आगामी कुछ वर्षों में सारे वैकल्पिक जलस्रोत बंद कर दिए जायेंगें और अन्य स्रोतों से जल वितरण बंद करवा दिया जाएगा।

इसके विपरीत नल कनेक्शनधारियों के साथ किए जाने वाले अनुबंध में यह लिखवा लिया जाएगा कि कंपनी द्वारा जलप्रदाय नहीं कर पाने की स्थिति में नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लेगा। लेकिन यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य तकनीकी कारणों से कंपनी का जलप्रदाय बाधित होता है तो लोग पानी लाएँगें कहाँ से?

कर्मचारियों की छँटनी

खण्डवा में 1733 सार्वजनिक नल कनेक्शनों सहित 17676 नल कनेक्शन है। प्रति हजार कनेक्शन पर 10 के हिसाब से करीब 175 कर्मचारी है। पेयजल व्यवस्था के निजी हाथों में जाने के कारण इन कर्मचारियों की छँटनी करनी होगी।

यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰ हेतु आवेदन करने के पूर्व स्थानीय निकायों को रिफार्म एजेंण्डा स्वीकार करना होता है। खण्डवा नगरनिगम ने इस रिफार्म एजेण्डे में प्रशासनिक सुधार के नाम पर जलप्रदाय से जुड़े कर्मचारियों को स्वैच्छिक (अनिवार्य) सेवा निवृति देने और सेवानिवृति से रिक्त हुए पदों को नहीं भरने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के अनुसार परियोजना शुरू होने के तीसरे वर्ष से कर्मचारियों सेवानिवृति शुरू करनी होगी।

निगम द्वारा 4 दिसंबर 2007 को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ***'मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ'*** के साथ किए गए अनुबंध (मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट) में रिफार्म एजेण्डे को स्वीकार किया गया है। मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट के बिन्दु क्रमांक 12 के अनुसार नगरनिगम द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को परियोजना राशि की किश्त रोकने का अधिकार होगा।

नगर निगम भी अपने प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2008 में स्वीकार कर चुका है कि जलप्रदाय से संबंधित अमला नर्मदा परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षित नहीं है। अत: इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि कंपनी उन्हें नौकरी दे दें। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की छँटनी अब नगरनिगम की बाध्यता बन गई है।

अनुबंध की कण्डिका 7.5 में मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में 10 उप कण्डिकाओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है। लेकिन, इसमें से किसी भी उपकण्डिका में नगरनिगम के जलप्रदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जबकि, निगम चाहता तो निजी कंपनी में इन कर्मचारियों की नौकरी का प्रावधान कर सकता था।

अनुभव बताते हैं कि निजी कंपनियाँ स्थानीय कर्मचारियों को पसंद नहीं करती है। नागपुर (महाराष्ट्र) के धरमपेठ झोन में जलप्रदाय का ठेका जन–निजी भागीदारी के तहत फ्रांस की 'विओलिया'

द्वारा नियंत्रित कंपनी को दिया गया है। वहाँ अभी कंपनी भूमिगत पाईप लाईनों का सुधार तथा कनेक्शनों में मीटर लगाने जैसे कार्य कर रही है लेकिन इन कामों में स्थानीय कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी नगरनिगम के कार्यों से जुड़े रहे स्थानीय कुशल/अकुशल मजदूरों तथा प्लंबरों तक को कोई काम नहीं दे रही है।

24/7 जलप्रदाय की पोल खुली

परियोजना की शुरूआत में चौबीस घण्टे जलप्रदाय का सब्जबाग दिखाया गया था लेकिन इसके लिए आर्थिक लागत की अधिकता तथा कंपनियों द्वारा इसे करने में असमर्थता के कारण निगम को पाँचवे संशोधन में 24/7 के बजाय 6 घण्टे के जलप्रदाय को स्वीकार करना पड़ा है। चौबीसों घण्टे जलप्रदाय को अशोका बिल्डकॉन कंपनी ने अनावश्यक बताया था। संचालन/संधारण खर्च बढ़ने के कारण कोई कंपनी लगातार जलप्रदाय के लिए तैयार नहीं हो पाई।

जलदर पुनरीक्षण

जल दर पुनरीक्षण समिति में निगम के लेखापाल, ऑडिटर, इंजीनियर और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगें। जल दरें प्रत्येक 3 वर्ष में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाई जाएगी। लेकिन जब कभी कंपनी जलदरें बढ़ाने का निवेदन करे तो यही समिति उसके बारे में निर्णय लेगी।[11] 3 वर्ष में 10 प्रतिशत की जलदर वृद्धि काफी कम लगती है। इसलिए संभावना है कि कंपनी इस प्रावधान के बावजूद समय–समय पर माँग कर जलदरों में वृद्धि करवा लेगी। चूँकि इस समिति में कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है इसलिए कंपनी के लिए मनमानी दरें तय करवाना आसान होगा।

गैरों पे करम अपनों पे सितम

अनुबंध में निगम ने कंपनी के हितों का खूब ध्यान रखा लेकिन नगर की जनता के हितों की अनदेखी होने दी। यहाँ तक कि निगम के जलप्रदाय विभाग में सेवा दे रहे कर्मचारियों के भविष्य तक का कोई विचार नहीं किया गया।

एक तरफ तो निगम द्वारा जन–निजी भागीदारी से दिन के किसी भी पहर, पूरी तरह भरोसेमंद, भरपूर पानी उपलब्धता वाली सस्ती जलप्रदाय व्यवस्था का दावा किया जा रहा था। लेकिन अब लगता है कि इन आश्वासनों से निगम का दूर का भी वास्ता नहीं है।

कंपनी द्वारा जलप्रदाय शुरू करने के बाद नगर निगम जल कनेक्शनधारियों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएगा। इस अनुबंध में सेवा बेहतर करने का तो कोई आश्वासन नहीं है लेकिन सेवा में कमी पर नागरिक कंपनी की शिकायत न कर पाए इसका जरूर प्रावधान किया गया है। नल कनेक्शनधारियों से वचन लिया जाएगा कि वे पानी के कम दबाव, जलप्रदाय के समय और उपलब्ध करवाई जा रही पानी की मात्रा के संबंध में कोई शिकायत नहीं करेंगें।

बिल राशि पर विवाद होने पर भी नागरिकों को कंपनी द्वारा बनाया बिल भरना होगा। शिकायत सही पाए जाने पर निराकरण के बाद राशि अगले बिलों में समायोजित की जा सकेगी। इसके साथ ही अनुबंध में नागरिकों से यह भी लिखवा लिया जाएगा कि यदि कारणवश कंपनी जलप्रदाय नही कर पाए तो नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं करेंगें।

---

11. परियोजना अनुबंध का शिड्यूल के., वाल्यूम -I, पृष्ठ 47

2 माह बिल नहीं भरने पर कंपनी कनेक्शन काट देगी। फिर से सेवा शुरू करवाने हेतु नागरिकों को बकाया बिल राशि के साथ नए कनेक्शन का शुल्क भी देना होगा।[12]

यदि कंपनी अनुबंध में उल्लेखित समय दिन में 6 घण्टा भी जलप्रदाय नहीं कर पाई तो भी उसके खिलाफ सेवा में कमी का मामला नहीं बन पाएगा क्योंकि संबंधित धारा में ''यथासंभव'' जोड़ कर कंपनी को जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया है।[13]

कनेक्शन शुल्क तो 300 ही रखा गया है लेकिन इसके साथ मैन लाईन से घर तक का कंपनी द्वारा निर्धारित ब्राण्ड तथा मटेरियल के पाईप, फेरूल, मीटर, अन्य कनेक्शन सामग्री, रोड़ खुदाई और प्लंबर का खर्च कनेक्शनधारियों को उठाना पड़ेगा। नागपुर में विओलिया कंपनी द्वारा किए जा रहे कनेक्शन का खर्च 12 हजार रूपए प्रति कनेक्शन है।

किसी व्यक्ति के डिफाल्टर होने पर भी कंपनी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उस व्यक्ति पर बकाया राशि में से आधी राशि का भुगतान कंपनी को तुरंत कर दिया जाएगा तथा शेष भुगतान संबंधित व्यक्ति से प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

परियोजना पर प्रश्नचिन्ह

निजी निवेश के समय परियोजना के वित्तीय स्वावलंबन पर बल दिया जाता है। लेकिन इस परियोनजा के वित्तीय स्वावलंबन पर टेण्डर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संभवत: इसी कारण से अधिकांश कंपनियों ने टेण्डर प्रस्तुत ही नहीं किए।

परियोजना के टेण्डर 19 कंपनियों ने खरीदे थे, प्रि–बिड मीटिंग में 12 कंपनियाँ शामिल हुई लेकिन टेण्डर प्रस्तुत करने केवल 4 कंपनियाँ ही सामने आई। टेण्डर प्रक्रिया में रूचि नहीं लेने का कारण परियोजना का आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होना बताया गया।

- **अशोका बिल्डकॉन** ने परियोजना के आर्थिक स्वावलंबी होने पर सवाल उठाते हुए परियोजना लागत तथा संचालन/संधारण खर्च कम करने हेतु वर्तमान जलस्रोत जसवाड़ी (सुक्ता) प्लांट और नागचून का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। कंपनी ने 24x7 जलप्रदाय के विचार को भी खारिज कर दिया था क्योंकि इससे बिजली का खर्च काफी बढ़ जाता।[14]

- **जसको** ने परियोजना को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य बताते हुए कहा था कि सामाजिक और राजनैतिक कारणों से पानी के दाम इतने नहीं बढ़ाए जा सकते कि उससे पूरी लागत निकाल ली जाए। ऐसी स्थिति में निगम और पूर्ण भुगतान की गारण्टी लेनी चाहिए।[15] क्योंकि निजी कंपनी यह जोखिम नहीं उठा सकती।

- **यूनिटी इन्फ्रा** ने खण्डवा में पानी की कम माँग और लम्बे परिवहन के कारण संचालन/संधारण खर्च अधिक होने से परियोजना को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक बताया

12. खण्डवा जल आवर्धन परियोजना अनुबंध, दिनांक 3 अक्टूबर 2009 की धारा 9.1.6(i) & (ii) (Page-48
13. Instructions to Bidders I (Ammendment), Volume-V, [(2.2.2 (ii)], Page 198
14. अशोका बिल्डकॉन का पत्र दिनांक 22 अगस्त 2008 (L-3, Page- 3)
15. जसको का पत्र दिनांक 23 जून 2008 (L-3, Page- 93)

था। कंपनी के अनुसार इससे पानी की दरे वर्तमान की अपेक्षा 6-7 गुना बढ़ जायेगी, जिसके लोग आदी नहीं हैं। इसके हल के रूप में कंपनी ने गारण्टी की माँग की थी।[16]

खण्डवा की पेयजल परियोजना निर्माण हेतु 90% सब्सिडी दिए जाने के बाद भी कुछ निजी कंपनियों ने इसे अव्यावहारिक माना है। लेकिन जलक्षेत्र की अनुभवी कंपनियों के निष्कर्षों के बावजूद जानबूझ कर निहित कारणों से इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। हर प्रकार से कोशिश करने (निविदा प्रपत्रों में संशोधनों) के बाद भी जब परियोजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं नहीं बनाई जा सकी तो अव्यवहार्य परियोजना को ही आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन यह निर्णय नगर की एक पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। परियोजना अनुबंध के कारण निगम का खजाना पूरे 23 सालों के लिए विश्वा कंपनी के लिए खोल दिया गया है। कंपनी करोड़ों रूपए की पूरी लागत खर्च और सुनिश्चित लाभ निगम से पाने की कानूनी हकदार होगी।

खण्डवा नगरनिगम के आय के स्रोत इतने अधिक नहीं है। चालू वित्तीय 2009-10 वर्ष में निगम की समस्त राजस्व आय मात्र 10.14 करोड़ आँकी गई है। ऐसी स्थिति में चूँगी क्षतिपूर्ति तथा अन्य मदों के तहत शासन से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन कंपनी के खाते में करना पड़ेगा और पैसे के अभाव में नगर का विकास अवरूद्ध हो जायेगा।

संक्षेप में आम जनता को आसानी से पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर बनाई जा रही परियोजना से पानी के सर्वसुलभ होने पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

---==/0/==---

***** यह रपट मुख्यतः मंथन अध्ययन केन्द्र से जुड़े श्री रेहमत द्वारा तैयार की गई है। यह अध्ययन सितंबर 2008 से प्रारंभ की किया गया था। यूआईडीएसएसएमटी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। चूँकि खण्डवा मध्यप्रदेश का पहला शहर है जिसने इस योजना के तहत जल आवर्धन योजना पर काम प्रारंभ किया। इसलिए इसके निष्कर्ष अन्य स्थानों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन रपट मुख्यतः नर्मदा जल आवर्धन योजना के प्रभावों पर केंद्रित है। इस अध्ययन की अगली कड़ी पर भी काम जारी है। जिसमें खण्डवा में जलप्रदाय के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी।

इस अध्ययन के दौरान हम खण्डवा के गणमान्य नागरिकों, जलप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों से काफी सहयोग मिला। उनके साथ हुई लम्बी चर्चाओं के कारण हम खण्डवा शहर और उसकी जलप्रदाय व्यवस्था के बारे में अपनी समझ स्पष्ट कर पाए। परियोजना तथा जलप्रदाय से संबंधित जानकारियॉ जुटाने में हमें कठिनाईयाँ जरूर हुई। लेकिन सूचना का अधिकार कानून के प्रयोग से देर से ही सही लेकिन कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती।

इस अध्ययन में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के हम हृदय से आभारी हैं।

16. यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र REF : UIL/MK/82-2008, दिनांक 30 सितंबर 2008

संलग्नक-1

नर्मदा जल आवर्धन परियोजना का कालक्रम

1.	17 अप्रैल 2007	निगम द्वारा योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति
2.	2 जुलाई 2007	निगम का प्रस्ताव (लागत 96.37 करोड़)
3.	31 मार्च 2008	सलाहकार के रूप में मेहता एण्ड मेहता फर्म की नियुक्ति
4.	7 अप्रैल 2008	टेण्डर जारी, टेण्डर प्रस्तुत करने की तिथि 13 मई 2008
5.	11 अप्रैल 2008	पहला संशोधन, टेण्डर प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाकर 2 जून 2008 की
6.	16 अप्रैल 2008	दूसरा संशोधन, (परियोजना क्रियांवयन जन निजी भागीदारी PPP योजनांतर्गत किए जाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के लिए 15 अप्रैल 2008 को पत्र लिखा गया।)
7.	23 मई 2008	तीसरा संशोधन, संशोधित निविदा अखबारों में प्रकाशित, टेण्डर प्रस्तुत करने की तिथि 7 जून 2008 तक बढ़ाई
8.	16 जून 2008	प्रि–बिड मीटिंग
9.	24 जून 2008	चौथा संशोधन, तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि 31 जुलाई 2008 तक बढ़ाई
10.	30 जुलाई 2008	पाँचवा संशोधन, तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि 30 जुलाई 2008 तक बढ़ाई
11.	13 अगस्त 2008	निगम का संशोधित लागत प्रस्ताव (136.76 करोड पुनरीक्षित लागत)
12.	9 सितंबर 2008	छठवाँ संशोधन, तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितंबर 2008 तक बढ़ाई
13.	30 सितंबर 2008	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि (तकनीकी बिड खोली गई)
14.	6 अक्टूबर 2008	निविदा प्रपत्र समुचित नहीं होने के कारण संशोधित निविदा आमंत्रण का निर्णय, प्राईस ऑफर – 1 निरस्त **(Ref.** - Project Director 's letter dated 6 Dec 2008)
15.	4 दिसंबर 2008	KMC खण्डवा नगर निगम और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी 'मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ' के बीच सहमति–पत्र (MOA) पर हस्ताक्षर, रिफार्म एजेण्डे ने कानूनी रूप लिया।
16.	6 दिसंबर 2008	प्राईस ऑफर - 1 निरस्त (राज्य स्तरीय साधिकार समिति की मीटिंग दिनांक 6 अक्टूबर 2008 के निर्णयानुसार)
17.	16 जनवरी 2009	पुनरीक्षित निविदा (प्राईस ऑफर – 2 के आधार पर) बुलवाने का निर्णय। लागत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि 3 फरवरी 2009 निर्धारित (**Ref.**- Municipal Commissioner's letter to bidder)
18.	10 फरवरी 2009	खण्डवा में वित्तीय बिड खोली गई
19.	12 फरवरी 2008	लागत प्रस्ताव को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की स्वीकृति
20.	16 फरवरी 2009	लागत प्रस्ताव को महापौर परिषद की स्वीकृति
21.	3 अक्टूबर 2009	नगरनिगम और विश्वा कंपनी के मध्य अनुबंध हुआ
22.	5 अक्टूबर 2009	विश्वा कंपनी को कार्यादेश जारी किया गया, अनुबंध और कार्यादेश जारी होने के पूर्व ही कंपनी ने सर्वेक्षण का काम प्रारंभ कर दिया था।